राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 35 राजस्व विभाग

दिनांक 08.08.2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि गांव सनौठ, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलतपुर, घोघा इत्यादि में दिल्ली सरकार ने लगभग वर्ष 2004 –05 में जमीन एक्वायर की थी,	यह सत्य है कि वर्ष 2004–05 मे गॉव सन्नौठ, होलम्बी कलां में जमीन एक्वायर की गई थी। गांव शाहबाद दौलतपुर अवार्ड नं. 1/98–99 एवं 29/02–03 में व घोघा में अवार्ड न. 5/98–99 में जमीन एक्वायर की गई।
ख	यदि हां, तो क्या वहां के किसान, भूमिघरों तथा ग्राम सभा की जो जमीन अधिग्रहण की गयी थी, उसके बदले में उनको सबको मुआवजा दे दिया गया था,	कुछ मामले विवादित होने के कारण धारा 30–31 में ए डी जे साहब की कोर्ट में विचाराधीन है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि उस अधिग्रहित जमीन को किसी कारणवश विवादित घोषित किया गया,	जी हॉ।
घ	यदि हॉ, तो इसका क्या कारण है,	भूमि का मालकाना हक एवं कब्जे का विवाद होना।
ड.	क्या यह सत्य है कि कुछ ग्राम निवासियों ने इन दस्तावेजों को जाली होने की शिकायत की है,	जी हॉ।
च	यदि हो तो क्या दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है,	मामला विवादित होने के कारण ए डी जे साहब की कोर्ट में केस विचाराधीन है जो इस मसले पर संज्ञान ले रहे है।
छ	क्या यह भी सत्य है कि ग्राम निवासियों द्वारा इस रैकेट को उजागर करने के लिए विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई है, और	जी हॉ।
ज	यदि हॉ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है, और	जिला दंडाधिकारी कार्यालय, जिला उत्तरी द्वारा शिकायतों पर प्रारंभिक जांच करायी जा रही है।
झ	जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, उनके विरूद्व क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, पूर्ण विवरण दें ?	प्रारंभिक जांच पूरा होने के बाद उचित कार्यवही की जा सकती है।

5/8/17

(सी. एस. यादव)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

C.S. YADAV
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54